प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

प्रबंधक,
संजय कुमार सरस्वती विद्या मन्दिर इ0का0
शाहजहाँपुर।

पत्रांकः– मान्यता/ 8484-86 /2012–13 दिनॉक–15-2-2013

विषय– **कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के संचालन की अनुमति के सम्बंध में**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अपनी विज्ञप्ति सं0– परिषद–9/283/दिनॉक 26 जुलाई, 2011 के द्वारा अवगत कराया है। कि शासन ने अपने पत्र सं0–1139/15.07.2011–1(06) /2011 दिनांक 15 जुलाई, 2011के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमो के अध्याय–सात के विनियम –पॉच 18(अ) के उपखण्ड 'घ' के पश्चात जोडे जाने नवीन विनियम (ड) को जोडे जाने की स्वीकृति अधिनियम की धारा 16(2) के अर्न्तगत प्रदान कर दी है।

उक्त के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव एवं आपके पत्र दिनांक 13.09.2012 के साथ संलग्न पत्राजातो के अनुसार विद्यालय भवन में उपलब्ध कक्षो के आधार पर आपके विद्यालय को वर्तमान शैक्षिक सत्र से कक्षा–6 से 8 तक की कक्षायें 1 जुलाई 2013 से प्रारम्भ करने की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धो के साथ प्रदान की जाती है।

1–विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्तर से की जायेगी।
2–नवीन कक्षायें संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा इस कोई अनुदान देय नही होगा।
3–संस्था द्वारा प्रेषित कक्षा–6 से 8 तक की अनुमति सबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त अनुमति निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रबन्धाधिकरण का होगा।
4–उक्त भवन से प्राइमरी कक्षायें कदापि संचालित नही की जायेंगी।
5–अनिवार्य शिक्षा अद्यिनियम,2011 के प्राविधानों को मान्य किया जाये।

भवदीय
15/2/13
(एन0डी0वर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
शाहजहाँपुर।

पृ0सं0ःमान्यता/ /2012–13 उसी तिथि को।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
01.संयुक्त शिक्षा निदेशक ,बरेली मण्डल बरेली।
02.क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय बरेली।
03.पटल सहायक(छात्रवृत्ति), कार्यालय जि0वि0नि0, शाहजहाँपुर।

जिला विद्यालय निरीक्षक
शाहजहाँपुर।

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड | मा—7

प्रेषक,

सेवा में,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय कार्यालय बरेली

प्रबन्धक,
संजय कुमार सरस्वती विद्या मन्दिर, गन्ना शोध संस्थान,
शाहजहाँपुर ।

संख्या मा० शि० प०/मान्यता/ 1186 बरेली, दिनांक 21-7 1995

विषय :- आपका हाई स्कूल/~~इन्टरमीडिएट~~ परीक्षा के लिए नवीन/~~अतिरिक्त~~ (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र ।

महोदय

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरांत इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7-क के अन्तर्गत आपके विद्यालय को कक्षा में परिषद की 1997 की हाई स्कूल/~~इन्टरमीडिएट~~ परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त वर्ग~~/ में वित्त-विहीन विषयों में मान्यता दिए जाने का आदेश प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ से 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय । इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति की जाय ।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) प्रारम्भिक कोष हेतु 15000/= रू0 की एन0एस0सी0 अवधि पूरी हो जाने के कम्स्यके पश्चात सावधि खाते में बंधक सहित विद्यालय के नाम जमा की जाय तथा पुष्टि में प्रमाणित प्रति भेजें ।

(ग) उक्त एन0 एस0 सी0 की अवधि पूर्ण होने तक विद्यालय के अनुपालन कोष में 900/=रू0 प्रति वर्ष प्रबन्ध समिति द्वारा नियमित रूप से जमा की जाय ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाई स्कूल / वैज्ञानिक (नवीन) (सीधे कक्षा, 9, 10)	हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत, गणित-2, विज्ञान -2 सामाजिक विज्ञान, नैतिक शारीरिक व समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य ।	जीवविज्ञान

टिप्पणी (1) कक्षा----9----में प्रवेश हेतु कम से कम------40-----छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरांत ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें ।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव ।

दिनांक

पृष्ठांकन संख्या मा0 शि0 प0 मान्यता/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका । शाहजहांपुर
(2) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक । बरेली
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
(4) हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग, बरेली ।

क्षेत्रीय सचिव ।

पी0 एस0 यू0 पी0 (आर0आर0) 60 मा0 शि0 प0 1-5-87---5,000 ।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

रजिस्टर्ड

मा–7

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश,

क्षेत्रीय कार्यालय बरेली

सेवा में,

प्रबन्धक,

संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर

उ०प्र०गन्ना शोध संस्थान

शाहजहाँपुर। रोजा आर०एस०

पत्र संख्या मा० शि० प०/मान्यता/ब०/ 2223-22 बरेली, दिनांक 19-10- 2001

विषय :– आपका हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

शासनादेश संख्या:-6203/15-7-4(1695)2001 दिनांक 19-9-2001

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7-क (क)/9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय के बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की 2003 की हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों वित्त विहीन में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीयबालिका विद्यालय निरीक्षिका से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। सूचना रजि० डाक से दें तथा प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी दें।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

1– प्रबंधतंत्र का इस आशय का पारित प्रस्ताव कि आवेदित मान्यता हेतु अध्यापनार्थ निजी श्रोतों से होने वाली आय से आकस्मिक अध्यापकों के सेवायोजन की व्यवस्था को अध्यापन कार्य के निमित्त स्वीकार किया जाता है। इस हेतु किसी अनुदान की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

2– आवेदित मान्यता हेतु प्रतिभूति के लिए रू. 5000=00 का सावधि जमा व बंधक (ख) प्रमाणपत्र।

3– प्रयोगात्मक सज्जा:– 12 प्रयोगात्मक सज्जा उपलब्ध होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

4– शिक्षण सामग्री:– हाईस्कूल सामान्य शिक्षण सामग्री हेतु रू. 1000=00 का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

5– भवन:– भवन भूमि/क्रीड़ास्थल विद्यालय के नाम होने की पुष्टि में खतौनी नकल प्रस्तुत करें। 9×6 मी0 माप के 04 प्रयोगात्मक कक्ष निर्मित्त करें जि0वि0नि0 की आख्या सहित प्रस्तुत करें।

6– पुस्तकालय:– हाई स्कूल स्तरीय रू0 3000=00 मूल्य की पुस्तकों की सूची प्रस्तुत करें।

नोट:–उक्त प्रतिबन्धों की पूर्ति जि0वि0नि0 माध्यम से एक वर्ष के अंदर करने का कष्ट करें। प्रतिबन्धों की पूर्ति न करने पर प्रकरण मान्यता प्रत्याहरण हेतु शासन को भेज दिया जायेगा।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक नवीन परीक्षा, वर्ष 2003 से	सामान्य हिन्दी	भौतिक विज्ञान, रसायन वि., जीवविज्ञान, गणित, अंग्रेजी

टिप्पणी (1) कक्षा—11—में प्रवेश हेतु कम से कम—40—छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियमितयों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव।

10/1/01

दिनांक

पृष्ठांकन संख्या मा० शि० प०/मान्यता/ब०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका। शाहजहाँपुर।
(2) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक। बरेली।
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय उ० प्र०, इलाहाबाद।
(4) हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग, बरेली
(5) उपसचिव (मान्यता) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

सेवा में,

प्रबन्धक,
संजय कुमार सरस्वती विद्या मन्दिर इ0का0
माधवनगर, शाहजहाँपुर

पत्रांकः आई0वी0मान्यता/ 1019-1024 दिनांक 30-7-2011

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये अतिरिक्त वर्ग की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को **बालक** विद्यालय के रूप में परिषद की **वर्ष 2013** की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ **अतिरिक्त वर्ग** में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ०प०उ०

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूति कोष– इस हेतु रूपया 5000/– विद्यालय के नाम जमा व निरीक्षक के पदनाम बंधक कराकर पुष्टि में धनराशि जमा प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर अतिरिक्त वर्ग वाणिज्य	हिन्दी	वही खाता तथा लेखा शास्त्र, व्यापारिक संगठन, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल, अधिकोषण तत्व, कम्प्यूटर

टिप्पणीः– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

पृष्ठांकन सं0ः आई0वी0मान्यता/ दिनांक : 2011

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, **शाहजहाँपुर**।
2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **बरेली**।
3– संभागीय उप शिक्षा निदेशक, **बरेली**।
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
4– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, **इलाहाबाद**।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

Scanned with OKEN Scanner